संख्या-379**/2023/2017/001-41-2023-266-Budget-2021**

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 01 मई, 2023**

विषय:-जनपद कुशीनगर के कतिपय 05 स्थलों के पर्यटन विकास की परियोजनाओं हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-172/6-1-1/(1380)/2021-22, दिनांक 17 अप्रैल, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- महानिदेशक, पर्यटन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जनपद कुशीनगर के कतिपय 05 स्थलों के पर्यटन विकास की परियोजनाओं हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा तैयार किये गये आगणनों के क्रम में शासनादेश दिनांक 04-01-2022, 20.04.2022 एवं शासनादेश दिनांक 08.10.2022 द्वारा प्रशासकीय एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (अवशेष) किश्त, अर्थात अब तक कुल धनराशि रू0 1,11,87,000.00 (रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख सत्तासी हजार मात्र) निर्गत की गयी है,जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	**योजना का नाम**	**प्रशासकीय स्वीकृति** (रू0 लाख में)	**किश्तवार वित्तीय स्वीकृति**		**जी0एस0टी0 मद में जाम/ समायोजित की गयी धनराशि**
1	जनपद कुशीनगर के तहसील पड़रौना के ग्राम /शहर- खनवार बकलोही में स्थित दुर्गा मंदिर का पर्यटन विकास।	26.85 **+ GST**	1	5,00,000.00	52,500.00
			2	10,00,000.00	1,05,000.00
			3	11,47,000.00	1,74,966.00
2	जनपद कुशीनगर के तहसील कसया, वि0ख0 तमकुहीराज के ग्राम/शहर छहॅू, पोस्ट- झनकौल में स्थित शिव स्थल का पर्यटन विकास।	24.35 **+ GST**	1	5,00,000.00	52,500.00
			2	10,00,000.00	1,05,000.00
			3	9,03,000.00	1,37,746.00
3	जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज के ग्राम/शहर पकड़ी गोसाइ, पोस्ट सेमरा हरदोपट्टी में स्थित दुर्गा मंदिर का पर्यटन विकास।	19.90 **+ GST**	1	5,00,000.00	52,500.00
			2	10,00,000.00	1,05,000.00
			3	4,64,000.00	70,780.00
4	जनपद कुशीनगर के तहसील कसया, वि0ख0 फाजिलनगर के ग्राम/शहर बेइली बकूलहर, पोस्ट -नदवा में स्थित शिव मंदिर परिसर स्थल का पर्यटन विकास।	16.41 **+ GST**	1	5,00,000.00	52,500.00
			2	10,00,000.00	1,05,000.00
			3	1,20,000.00	18,305.00
5	जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज के ग्राम/शहर पकड़ी गोसाइ, पोस्ट सेमरा हरदोपट्टी में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक मां पिजावा ॅ का पर्यटन विकास।	25.94 **+ GST**	1	5,00,000.00	52,500.00
			2	10,00,000.00	1,05,000.00
			3	10,53,000.00	1,60,627.00
कुल योग		113.45 **+ GST**		**1,11,87,000.00**	**13,49,924.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त प्रायोजनाओं (प्रस्तर-2 के अनुसार) हेतु जी0एस0टी0 की कुल धनराशि रू0 13,49,924.00 (रूपये तेरह लाख उनचार हजार नौ सौ चौबीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 04.01.2022, 20.04.2022 एवं दिनांक 08.10.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 /2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के नियमों के अनुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(8) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(13) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,49,924.00 (रूपये तेरह लाख उनचार हजार नौ सौ चौबीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 /2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
9. परियोजना प्रबंधक, उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, यूनिट-29, गोरखपुर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।